


337



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला-छतरपुर

ए/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2017/3946

मन्लूल पुत्र श्री चिन्हेलाल जैन
निवासी - बकस्वाहा वार्ड नं. 7
जिला - छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

धनीराम पुत्र श्री तिजिया काछी
निवासी - बकस्वाहा
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

.....अनावेदक

प्योगेस चक्रवर्ती 3 कि
17-10-17

600 Janki
17-10-17

पेक्षा दिनांक 10-11-17

न्यायालय राजस्व निरीक्षक बकस्वाहा द्वारा प्रकरण क्रमांक
153/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 13.06.2017 के विरुद्ध
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर
न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक द्वारा विवादित भूमि ग्राम तेइयागार में स्थित भूमि खसरा नं. 188/5/1 रकवा 0.781 है0 पर सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक मण्डल बकस्वाहा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जो प्रकरण क्रमांक 153/अ-12/2016-17 पर पंजीबद्ध किया गया।

2. यहकि, विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में कार्यवाही एवं आदेश अत्यधिक शीघ्रता में किया है, आवेदक को उपरोक्त सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गयी है। तथा पारित आदेश दिनांक 13.06.2017 से सीमांकन स्वीकृत किया जाकर आवेदक का कब्जा भूमि खसरा नं. 188/5/1 रकवा 0.750 है0 पर बताया गया है। जबकि आवेदक द्वारा अनावेदक की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया है, आवेदक द्वारा भूमि

8
Dehat
17/10/17

23

11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3946

मन्नूलाल विरूद्ध धनीराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक बकस्वाहा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 153/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 13-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	<p>(आर.के. जैन) 24-01-19 सदस्य</p>